

स मा ह र णा ल य, कि श न गं ज

(जिला सामान्य प्रशाखा)

पत्र संख्या-...23...../जि.सा., किशनगंज, दिनांक.....2013

पेषक ::

वरीय उप समाहर्ता,
जिला सामान्य प्रशाखा,
किशनगंज।

सेवा में,

अनुमंडल पदाधिकारी,
किशनगंज।

विषय ::

श्री देवेन्द्र प्रसाद सिंह, पिता-श्री हरिहर प्रसाद सिंह, सा0-कुचहा बेनुगढ़, थाना-टेढ़ागाछ को गलत जाति प्रमाण-पत्र से सम्बन्धित घटनोत्तर अनुमोदन देने के संबंध में।

प्रसंग ::

आपका पत्रांक 113/अनु. 23, दिनांक 11.01.2013

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि श्री देवेन्द्र प्रसाद सिंह, पिता-श्री हरिहर प्रसाद सिंह, सा0-कुचहा बेनुगढ़, थाना-टेढ़ागाछ को रद्द किये गये पूर्व निर्गत जाति प्रमाण-पत्र संख्या-87, दिनांक 26.06.2002 को जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा घटनोत्तर अनुमोदन स्वीकृति प्रदान की गई है।

विश्वासभाजन,

20

वरीय उप समाहर्ता,
जिला सामान्य प्रशाखा,
किशनगंज।

संचिका संख्या-39-1/2013, टि0पू0सं0-02,
दिनांक 16.02.2013

ज्ञापांक...234...../जि.सा., किशनगंज, दिनांक...23-02.....2013

प्रतिलिपि :: जिला प्रबन्धक (आई.टी.), किशनगंज को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

23.02.13

वरीय उप समाहर्ता,
जिला सामान्य प्रशाखा,
किशनगंज।